भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 1780
(जिसका उत्तर मंगलवार, 10 मई, 2016 को दिया गया)

कंपनी अधिनियम की समीक्षा संबंधी पैनल के सुझावों को अपनाया जाना

1780. श्री तिरूची शिवाः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार कम्पनी अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दों की समीक्षा करने हेतु गठित उच्च स्तरीय पैनल द्वारा सुझाए गए परिवर्तनों को अपनाने की मंशा रखती है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;
(ग) क्या सरकार ने इन सुझावों पर गौर करने हेतु पहले ही एक समिति का गठन किया है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरूण जेटली)**

(क) से (घ): कंपनी विधि समिति (सीएलसी) की रिपोर्ट 01.02.2016 को प्रस्तुत की गई थी जिसके द्वारा समिति ने कंपनी अधिनियम, 2013 की 78 धाराओं में परिवर्तन करने का सुझाव दिया था जिसमें अधिनियम की अन्य धाराओं में परिणामी संशोधन शामिल नहीं थे। सरकार ने समिति की अधिकांश अनुशंसाएं स्वीकार कर ली हैं और तदनुसार, कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2016 लोक सभा में दिनांक 16.03.2016 को प्रस्तुत किया गया था।

*****